न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 149/2023 (GCMS No. 2023/157) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. भगवानसिंह पुत्र रामप्रसाद
2. भजन लाल पुत्र जोहरी
3. देवीसिंह पुत्र चरनीराम
4. संजय कुमार पुत्र प्रभू दयाल
5. शिव्वो पुत्र मौजा
6. महाराजसिंह पुत्र दुरजन सिंह

अकवाम जाटवान निवासी सेंथरी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..........अपीलांट्स

बनाम

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेंथरी तहसील कुम्हेर तामील जरिये प्रधानाध्यापक महेश सोलंकी सेंथरी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।
2. जिला कलक्टर भरतपुर।

..........रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर आदेश क्रमांक राजस्व/12/2(3)2010/66/दिनांक 22.07.2010 बावत् आराजी खसरा नम्बर 205 रकवा 030 एयर वांके ग्राम सेंथरी तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

उपस्थिति:–

1. अपीलाट्स की ओर से श्री जीतेन्द्र कर्दम, वकील
2. रेस्पो. सं. 1 की ओर से श्री दिनेश चन्द शर्मा, वकील

नि र्ण य **दिनांक : 18.07.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 22.07.2010 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर भरतपुर ने उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर के प्रस्तावानुसार ग्राम सैंथरी तहसील कुम्हेर के आराजी खसरा नम्बर 205 रकवा 0.30 हैक्टे. किस्म गैर मुमकिन खेडा का आवंटन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सैंथरी को भवन हेतु बिना कब्जे की जॉच किये कानून के खिलाफ आवंटन कर दिया। उक्त आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री दिनेश चन्द शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पो. संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. पर दलील दी कि दिनांक 22.07.2010 का आदेश निर्विवाद रूप से आराजी पर कुआ, धर्मशाला पेड एवं थानें बने हुए हैं तथा अब समन अदालत एस. डी.ओ. कुम्हेर के यहाँ पहुँचने पर अदालत में आकर जानकारी दिनांक 21.02.2022 को की। उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 24.02.2022 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी एवं मिलने नकल से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनिमय मय शपथ पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। धारा 96 सी.पी. सी. पर कथन किया कि फैसला आवंटन करने से पूर्व मौके पर कोई जॉच नहीं की गई और ना हमको सुना गया। उक्त आदेश से अपीलान्ट प्रार्थी एग्रीव्ड है एवं हम लोगों व समाज का हित प्रभावित हो रहा है। उक्त आराजी में हनुमान मंदिर कुआं एवं थानें बने हुए हैं व समाज के काम आ रही है। अतः प्रार्थीगण को अपील पेश करने एवं सुनवाई करने का आदेश फरमाया जावे।
5. आराजी खसरा नम्बर 205 रकवा 0.30 हैक्टे. वांके ग्राम सेंथरी तहसील कुम्हेर में स्थित है जो गैर मुमकिन आबादी होने से आराजी पर ग्राम पंचायत सेंथरी के जाटवों का बहुत पुराना कब्जा है तथा उक्त आराजी में जाटव समाज के व्यक्तियों का हनुमानजी का मंदिर बना हुआ है जिसमें जाटव समाज के लोग अपनी आस्था से पूजा सेवा करते हैं। जाटव समाज के पुराने थान बने हुए हैं एवं कुआ बना हुआ है। उक्त आराजी की मंजूरी ग्राम पंचायत ने धर्मशाला एवं कुआं व सार्वजनिक बगीची के लिए सरपंच ने पूर्व में दे रखी है। उक्त आराजी का आवंटन जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 22.07.2010 को रेस्पो. संख्या 1 के हक में कानून के खिलाफ किया गया है। आराजी ख.नं. 205 रकवा 0.30 हैक्टे. की जब पूर्व में मंजूरी दे रखी है तो बिना मौके जांच किये हुए व कब्जे की वास्तविक जांच के बिना आवंटन निरस्तनीय है। उक्त आराजी में धर्मशाला, कुआ एवं हनुमानजी का मंदिर बना हुआ है तथा शादी विवाह के काम में आती है। चुनावी रंजिश के आधार पर बिना मौका व कब्जा देखे उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जिसके आधार पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन कर दिया। उक्त आराजी मुतनाजा किस्म गैर मुमकिन खेडा है तथा उॅची नीची होने से बच्चों की फील्ड के लिए काम नहीं आ सकती है। आराजी खसरा नम्बर 205/356 रकवा 0.80 हैक्टे. जमीन पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पहले ही जिला कलक्टर ने स्कूल के लिये दिनांक 19.03.2004 को आवंटन कर रखी है। पुनः आवंटन कानूनन नहीं किया जा सकता है। उक्त आराजी पर ए.सी. जे. कोर्ट द्वारा स्थगन जारी कर पाबन्द किया हुआ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.07.2010 निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 191/6.15 में से 0.80 हैक्टे. जमीन स्कूल के लिए दिनांक 19.03.2004 को आवंटन की गई। अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश के 12 वर्ष बाद अपील पेश की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनिमय में डिले का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अपीलांट का यह कहना कि उसको आवंटन आदेश की जानकारी नहीं थी गलत है। अपीलांट को आवंटन के दिनांक से ही जानकारी थी। सिवायचक भूमि को बिना अनुमति के ग्राम पंचायत को मंजूरी देने का कोई अधिकार नहीं था। पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। वर्ष 2004 वाली में धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत कूम्हां द्वारा प्रस्ताव तहसीलदार को प्रेषित किये हैं स्कूल में 90 बच्चे अध्ययनरत हैं। दिनांक 13.04.2022 को मौका देखा गया है। विवादित आराजी पर सरसों की लकडी डालकर कब्जा किया हुआ है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर में दावा विचाराधीन है जिसमें कब्जा करने वालों के विरूद्व स्थगन दिया हुआ है। अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। रेस्पो. द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत यथा आरबीजे 2007 (S.C)पेज 438, आरबीजे 2010 (RHC) पेज 289, आरबीजे 2023 (RHC) पेज 17 एवं आरबीजे 2010 पेज 90 उद्घृत किये।

7. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनिमय एवं धारा 96 सी.पी.सी. का विनिश्चिय करना उचित समझते हैं। दिनांक 22.07.2010 का आदेश निर्विवाद रूप से आराजी पर कुआ, धर्मशाला पेड एवं थानें बने हुए हैं तथा अब समन अदालत एस.डी.ओ. कुम्हेर के यहॉ पहुँचने पर अदालत में आकर जानकारी दिनांक 21.02.2022 को की। उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 24.02.2022 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. में कथन है कि फैसला आवंटन करने से पूर्व मौके पर कोई जॉच नहीं की गई और ना हमको सुना गया। उक्त आदेश से अपीलान्ट प्रार्थी एग्रीव्ड है एवं हम लोगों व समाज का हित प्रभावित हो रहा है। उक्त आराजी में हनुमान मंदिर कुआं एवं थानें बने हुए हैं व समाज के काम आ रही है। हम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र एवं धारा 96 सी.पी.सी. के तर्कों से सहमत हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में मियाद के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने का अभिमत प्रतिपादित किया है ताकि उभयपक्ष की उचित सुनवाई के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित हो सके और कोई भी पक्ष बिना सुने न रहे। अतः प्रकरण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपील में हुए विलम्ब की अवधि को कंडोन किया जाता है तथा अपील पेश करने की अनुमति प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं।

8. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर द्वारा आराजी खसरा नम्बर 205 रकवा 0.30 हैक्टे. गैर मुमकिन खेडा वांके ग्राम सैंथरी के आवंटन प्रस्ताव जिला कलक्टर भरतपुर को प्रेषित किये गये। उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.07.2010 से राजकीय प्राथमिक विद्यालय सैंथरी तहसील कुम्हेर को आवंटन कर दिया गया। उक्त भूमि जमाबंदी खतौनी संवत् 2064—2067 में राजकीय खाता दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट दिनांक 29.10.2009 के अनुसार उक्त आराजी ख. नं. 205/356 रकवा 0.80 हैक्टे. गै. मु. स्कूल के नाम दर्ज है तथा ख.नं. 205 रकवा 0.30 हैक्टे. गै. मु. खेडा राजकीय खाता दर्ज है। मौके पर खाली पडा होना तथा स्कूल के बच्चों के लिए क्रीडास्थल हेतु उपयुक्त होना एवं ख.नं. 205 ख.नं. 205/356 से सटा होना एवं मौके पर कोई विवाद नहीं होने की रिपोर्ट प्रेषित की है। इसी के आधार पर आवंटन किया गया है। तत्समय अतिक्रमण की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है तथापि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमी अपीलांटस को कानूनन कोई अधिकार एवं हक प्राप्त नहीं होते है और ऐसी भूमि के संबंध में हुए आवंटन को निरस्त कराने का ऐसे अपीलांट/अतिक्रमी को कोई विधिक रूप से अधिकार नहीं है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटस की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9. फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाती है और अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 22.07.2010 यथावत जाता है। अपील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापस लौटाई जावे।

10. आज दिनांक 18.07.2024 को यह निर्णय मेरें द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/7/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर